



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ(3)परि/आरएसबीटीडीए/2015/पार्ट-2

जयपुर, दिनांक:-

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 5(1) कार्मिक/क-1/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020 के द्वारा श्री नवीन जैन का पदस्थापन शासन सचिव, आयोजना विभाग में करने के परिणाम स्वरूप राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 (2015का अधिनियम स.19) की धारा 4 की उप धारा (4)के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की दिनांक 02.11.2020 से नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

हो/

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांक:- 08/12/2021

क्रमांक:- एफ(3)परि/आरएसबीटीडीए/2015/पार्ट-2

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
15. श्रेणीय परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
16. जिला परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर।
18. कम्प्यूटर शाखा, परिवहन विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ(3)परि/आरएसबीटीडीए/2015/पार्ट-2

जयपुर, दिनांक:-

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 5(1) कार्मिक/क-1/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020 के द्वारा श्री अखिल अरोड़ा का पदस्थापन प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग में करने के परिणाम स्वरूप राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 (2015का अधिनियम सं.19) की धारा 4 की उप धारा (4)के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की दिनांक 01.11.2020 से नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

२१

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांक:- 08/02/2021

क्रमांक:- एफ(3)परि/आरएसबीटीडीए/2015/पार्ट-2

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
15. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
16. जिला परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर।
18. कम्प्यूटर शाखा, परिवहन विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ(3)परि/ आरएसबीटीडीए/2015/पार्ट-2

जयपुर, दिनांक:-

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 5(1) कार्मिक/क-1/2020 जयपुर, दिनांक 18.08.2020 के द्वारा श्री अभय कुमार का पदस्थापन प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग में करने के परिणाम स्वरूप राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 (2015का अधिनियम स.19) की धारा 4 की उप धारा (4)के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की दिनांक 20.08.2020 से नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

8/1
(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांक:- 08/02/2021

क्रमांक:- एफ(3)परि/ आरएसबीटीडीए/2015/पार्ट-2

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
15. श्रेणीय परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
16. जिला परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर।
18. कम्प्यूटर शाखा, परिवहन विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन